

फा.स.6(।)/2017/रक्षा(पुनर्वास.॥)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

कमरा सं. 237 'बी' विंग

सेना भवन, नई दिल्ली

मई 21, 2018

सेवा में,

मुख्य सचिव/प्रशासनिक

सभी राज्य/यूटी

विषय: चिकित्सीय/व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्यों/यूटी द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षण/वरीयता हेतु तत्पर प्राथमिकता।

चिकित्सीय/व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्यों/यूटी/केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालय/स्वायत संस्थानों द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के आरक्षण/वरीयता हेतु प्राथमिकता सूची की श्रेणी V से पुरस्कारों की युद्ध सेवा पदक शृंखला को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी जारी है। प्राथमिकताओं की संशोधित सूची निम्नानुसार है:-

प्राथमिकता I : कार्रवाई के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएं/बच्चे।

प्राथमिकता II : कार्रवाई के दौरान निश्कृत हुए और सेना से बाहर कर दिए गए कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता III : सैन्य सेवा पर आरोप्य मृत्यु में सेवाकाल में मृत रक्षा कार्मिकों की विधवाएं/बच्चे।

प्राथमिकता IV : सेवा में निश्कृत और सैन्य सेवा पर आरोप्य निश्कृतता से बाहर किए गए कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता V : भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कार्मिकों के बच्चे जिन्हें वीरता पुरस्कार मिले हैं :

- i. परम वीर चक्र
- ii. अशोक चक्र
- iii. महा वीर चक्र
- iv. कीर्ति चक्र
- v. वीर चक्र

- vi. शौर्य चक्र
- vii. सेना, नौसेना, वायु सेना पदक
- viii. मेंशन-इन-डिस्पेचस

प्राथमिकता VI : भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।

प्राथमिकता VII : निम्नलिखित कार्मिकों की पत्नियाँ :

- i) कार्रवाई के दौरान निशक्त और सेना से बाहर कर दिए गए रक्षा कार्मिक।
- ii) सेवा में निशक्त और सैन्य सेवा पर आरोप्य निशक्तता से बाह किए गए रक्षा कार्मिक।
- iii) भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है।

प्राथमिकता VIII : सेवारत कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता IX : सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

2. इसे माननीय रक्षा मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है और यह पत्र इस विषय पर दिनांक 19.05.2017 और 30.11.2017 के हमारे पूर्व समसंख्यक पत्रों का अधिक्रमण करता है।

(संतोष)

संयुक्त सचिव (पुनर्वास.॥)

दूरभाष: 23015772

फा.स.6(1)/2017/रक्षा(पुनर्वास.॥)

प्रति संलग्नः

1. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।
 2. स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण,
भारत सरकार, नई दिल्ली।
 3. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली।
 4. सभी राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड।
 5. सीओएएस, सीएनएस, सीएएस
 6. एकीकृत मुख्यालय थलसेना, नौसेना, वायु सेना
- } सभी संबंधित को सूचित करने के आवेदन
} सहित।

(संतोष)

संयुक्त सचिव (पुनर्वास.॥)

दूरभाष: 23015772